



प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,

लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 21-09-2026

विषय:- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-155-2022(मथुरा) दिनांक 16.07.2026, ग्यारह-86(1)-2022 दिनांक 17.07.2026, ग्यारह-143-2022(अना0) दिनांक 23.07.2026, ग्यारह-297-2024(सी0ओ0 कार्या0) दिनांक 02.07.2026 एवं ग्यारह-47-2022(सुल्तानपुर) दिनांक 30.07.2026, ग्यारह-47-2022(सुल्तानपुर) दिनांक 30.07.2026, ग्यारह-51-2022(38) दिनांक 28.07.2026, ग्यारह-451-2017 दिनांक 17.07.2026, ग्यारह-175-2022 दिनांक 17.07.2026 एवं ग्यारह-290-2024 दिनांक 24.07.2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के कालम -2 में उल्लिखित पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कालम-4 में अंकित धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कालम-5 में अंकित धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5
1	जनपद मथुरा की पुलिस लाइन परिसर में पानी की निकासी के लिए नाला, बाउण्ड्रीवाल(50 मी0) आदि के निर्माण कार्य के संबंध में	सी० एंड डी० एस० जल निगम	208.16	208.16
2	जनपद बागपत के थाना छपरौली परिसर में 32 क्षमता के हॉस्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष के निर्माण कार्य के संबंध में	सी० एंड डी० एस० जल निगम	175.62	175.62
3	जनपद मथुरा में थाना बल्देव के अंतर्गत पुलिस चौकी बरौली के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में	आवास एवं विकास परिषद्	125.02	125.02
4	जनपद प्रतापगढ़ में क्षेत्राधिकारी रानीगंज के कार्यालय के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में	आवास एवं विकास परिषद्	89.59	89.59

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	जनपद सुल्तानपुर के थाना कादीपुर में 48 क्षमता के हॉस्टल/बैरक एवं 01 विवेचना कक्ष का निर्माण के सम्बन्ध में	उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम	288.80	288.80
6	जनपद सुल्तानपुर के कोतवाली नगर में 48 क्षमता के हॉस्टल/बैरक एवं 01 विवेचना कक्ष का निर्माण के सम्बन्ध में	उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम	283.98	283.98
7	जनपद मुरादाबाद के थाना कोतवाली नगर में 48 क्षमता के हॉस्टल/बैरक एवं 01 विवेचना कक्ष का निर्माण के सम्बन्ध में	उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम	269.59	269.59
8	12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर में 200 जवानों हेतु बहुउद्देशीय हाल का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में	उ० प्र० पुलिस आवास निगम लि०	238.77	238.77
9	जनपद गाज़ियाबाद की रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित आवासीय/अनावासीय परिसर के जर्जर विद्युत् तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में	उ० प्र० पुलिस आवास निगम लि०	103.81	103.81
10	जनपद अलीगढ़ की पुलिस लाइन में जी०पी० स्टोर के सामान हेतु 02 हाल के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में	उ० प्र० पुलिस आवास निगम लि०	57.69	57.69
	कुल योग		1841.03	1841.03

नियम/शर्तें-

1. निर्माण कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था से उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण जाने तथा कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी दशा में कार्यों की लागत में कोई पुनरीक्षण न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिए जाय।
2. उ०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
5. उ०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किया जायेगा। प्रश्रुत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाएगा।

6. पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कराया जाय। परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता/आडिट आपत्ति हेतु उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे।
8. प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।
9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
10. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गयी व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा।
11. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।
12. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्रुत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/खोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
13. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय की होगी।
14. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0 -5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये
15. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
16. जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार देय होगी। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हों।
17. स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपोजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।
18. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
19. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका से सुसंगत, प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
20. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सेंटेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के नवीनतम शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्रुत प्रायोजना की भौतिक प्रगति, धनराशि अवमुक्त तथा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज किये जाने आदि के संबंध में नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2027 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,41,03,000 (रुपये अठारह करोड़ इकतालीस लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002070600 पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

संख्या-531/2026/1/1470182/2026/008-6-7099-739-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, लखनऊ ।
5. निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लि0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. संबंधित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ।
9. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ ।
10. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
11. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
12. संबंधित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
13. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
14. गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।